5-62/08

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

-: आदेश :-

013

शस्त्र अपील वाद संख्या–44/2009 में आवेदक **श्री जगदीश प्रसाद सिंह,** पिता–स्व0 माँजी लाल सिंह, सा0–असिस्टेंट प्रॉसेक्यूशन ऑफिसर, दानापुर कोर्ट, थाना–दानापुर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–247/2006 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या–44/2009 में दिनांक–28.04.2012 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि दानापुर कोर्ट, पटना में **"Assistant Prosecution Officer"** के पद पर कार्यरत हैं। आवेदक द्वारा पृच्छा के क्रम में बताया गया कि उनकी सेवा स्थानांतरनीय है तथा उनका स्थायी पता अररिया जिला है। आवेदक द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–519/गो0, दिनांक–28.03.2007 का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित किया किया गया है। साथ हीं **"आवेदक के स्थायी पते पर सत्यापन करा लिये जाने की बात प्रतिवेदन में अंकित की गयी है।"** अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष, दानापुर के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदन को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, दानापुर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका–10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र, दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न

-1-

कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/आशंका नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री जगदीश प्रसाद सिंह,** पिता–स्व0 माँजी लाल सिंह, सा0– असिस्टेंट प्रॉस्टीक्यूशन ऑफिसर, दानापुर कोर्ट, थाना–दानापुर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

N Saravana Kumar 11/4/13

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

N Saravana Kumar 11/4/13

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।